

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

-: अधिसूचना :-

संचिका संख्या-6/अ0-03-15/2008

पटना, दिनांक:-

श्री शशी भानु, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), पटना सिटी पश्चिमी अंचल, पटना को वित्त विभाग के पत्रांक 8043 दिनांक 11.10.2017 की कंडिका-3(G)(i) में छुट्टी यात्रा रियायत (एल0 टी0 सी0) की सुविधा प्रदान किये जाने के प्रावधान के आलोक में ब्लॉक वर्ष 2022-25 के लिए दिनांक 08.06.2025 से 15.06.2025 तक की अवधि में कल्पा, किन्नौर (हिमाचल प्रदेश) का भ्रमण हेतु सपरिवार छुट्टी यात्रा रियायत (एल0 टी0 सी0) उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(ज्योति प्रकाश)

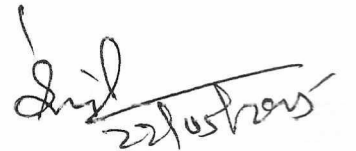
सरकार के अवर सचिव

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 6/अ0-03-15/2008...2166.../ पटना, दिनांक:- 23/05/25

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना/कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय कोषागार, पटना/राज्य कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं श्री शशी भानु, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), पटना सिटी पश्चिमी अंचल, पटना को इस आशय की सूचना के साथ प्रेषित कि याचित अवकाश अवधि की स्वीकृति एच0आर0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे।



सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।